01

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

प्रस्तावना

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों तथा कार्य नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय लेने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

विजन

ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आधुनिक, धारणीय एवं प्रतिस्पर्धी कोयला क्षेत्र।

उद्देश्य

i. कोयला उत्पादन तथा आफटेक, ओवर बर्डन हटाने (ओबीआर), लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वा षक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।

ii. कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने हेतु अवसंरचना विकास।

iii. पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग करना।

iv. अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास पहलें।

v. संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि।

vi. ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता।

vii. अंतरमंत्रालयी मुद्दों में तेजी से तथा संयुक्त रूप से समाधान।

viii. कोल इंडिया की क्षमता में सुधार।

ix. निजी निवेश आकर्षित करना।

x. पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आबंटन।

कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय का सरोकार भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय–समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार आबंटित विषय (अधीनस्थ अथवा स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध विषयों से जुड़े पीएसयू) में निम्नलिखित शामिल हैं:–

i. भारत में कोकिंग कोयला और गैर–कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण और विकास।

ii. कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, संवितरण तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मामले।

iii. ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वॉशरियों का विकास और प्रचालन।

iv. कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।

क. कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।

v. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।

vi. कोयला खान भविष्य निधि संगठन।

vii. कोयला खान कल्याण संगठन।

viii. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।

ix. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम (1947 का 32) का प्रशासन।

x. खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद–शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन।

xi. कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।

xii. खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

1. संगठन ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार (क) एक अपर सचिव; (ख) वित्तीय सलाहकार सहित 5 संयुक्त सचिव (2 संयुक्त सचिवों को अपर सचिव के रूप में अपग्रेड किया गया है); (ग) एक परियोजना सलाहकार; (घ) एक उप महानिदेशक; (ङ) 9 निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक; (च) 9 अवर सचिव; (छ) 24 अनुभाग अधिकारी; (ज) 1 लेखा नियंत्रक; (झ) एक उप लेखा नियंत्रक; और () 2 वरिष्ठ लेखा अधिकारी हैं। दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय का संगठन चार्ट **अनुबंध**–I में दिया गया है।

2. अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठन हैं:–

(i) कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय –एक अधीनस्थ कार्यालय।

(ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) –एक स्वायत्त निकाय।

सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

i. कोल इंडिया लिमिटेड

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

iii. नेयवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन इंडिया लिमिटेड

3. कोयला नियंत्रक का संगठन

कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसके कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर, सम्बलपुर, कोठागुंडम में हैं। दिल्ली और कोलकाता को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक जीएम/डीजीएम स्तर का कार्यपालक है जो विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की क्षमता में कार्य कर रहा है तथा जिसे अन्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है। कोलकाता कार्यालय एनईसीएल कमान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों की देख–रेख करता है तथा कोयला नियंत्रक को विभिन्न मुद्दों पर सहायता प्रदान करता है।

कोयला नियंत्रक कार्यालय के सांख्यिकीय स्कंध में दो आईएसएस अधिकारी तथा अन्य सहायक स्टाफ तैनात हैं जो कोयला सांख्यिकी के नियमित आधार पर संग्रहण, संकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार हेतु सीसीओ एक नोडल कार्यालय है।

सीसीओ के प्रशासनिक विंग का प्रमुख निदेशक (आईएसएस) होता है तथा उन्हें एक उप निदेशक (आईएसएस) तथा दो उप सहायक कोयला नियंत्रक और अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है।

कार्यः

कोयला नियंत्रक संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्य करता हैः

(i) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 (2021 में संशोधित)

(ii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 2011

(iii) कोयला धारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ।

(iv) सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य।

दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा निष्पादित कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

वर्ष 2023 (दिसम्बर, 2023 तक) के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन कार्यालय का निष्पादनः

i. **कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिए अनुमति प्रदान करनाः** कोयला नियंत्रक संगठन ने वर्ष 2023 के दौरान कुल 33 खानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है।

ii. **कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत मामलों का निपटानः** वर्ष 2023–24 (दिसम्बर, 2023 तक) के दौरान अनापत्ति जारी करने हेतु सीसीओ ने सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत कोयला मंत्रालय 07 मामलों की सिफारिश प्रस्तुत की है।

iii. **ग्रेड स्लिपेज के संबंध में वैधानिक शिकायतः** दिसंबर, 2023 तक ग्रेड स्लिपेज के लिए वैधानिक शिकायतों के 30 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से कोयला नियंत्रक ने 30 मामलों की सुनवाई की है।

iv. **सीआईएल के अलावा सभी कोयला और लिग्नाइट कंपनियों के लिए खनन योजना और खान बंद करने**

की योजना का अनुमोदनः कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए खनन योजना तैयार करने, लागू, प्रस्तुत करने, जांच करने, अनुमोदन और संशोधन हेतु कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन सं. 34011/28/2019–सीपीआईएम दिनांक 29.05.2020 के अनुसार खनन योजना कोयला मंत्रालय के एसडब्ल्यूसीएल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की आवश्यक जांच और टिप्पणियों के अनुपालन के बाद, समिति कोयला नियंत्रक को खनन योजना के अनुमोदन की सिफारिश करती है। वर्ष 2023 में 17 खनन योजना और खान समापन योजना को अनुमोदित कर दिया गया है और 17 प्रक्रियाधीन हैं।

V. **स्टार रेटिंगः (वित्त वर्ष 2022–23)**

- 379 खानों (ओसी खान–215, यूजी खान–150 और मिश्रित खान–14) ने स्व–मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।
- प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 10% स्कोरिंग खानों (कुल –43) की पहचान की जाती है (ओसी खान–23 यूजी खान–18 और मिश्रित खान–2)।
- समिति द्वारा इन शीर्ष 10% स्कोरिंग खानों का वास्तविक निरीक्षण पूरा कर लिया गया है।
- शेष 90% खानों (स्व–समीक्षा चिह्नों को वैध बनाने के लिए) की विभिन्न समीक्षकों (क्रिस–क्रॉस) द्वारा समीक्षा की जा रही है।
- नियंत्रक समीक्षा भी की जा रही है, इसके फरवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

vi. **कोयला सांख्यिकी का संग्रह, संकलन और प्रकाशनः** अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2022–23 को प्रकाशित किया गया है। वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक कोयला निर्देशिका अंतिम चरण में है।

vii. **पूर्व में आबंटित कोयला ब्लॉकों के लिए बैंक गारंटी संबंधी मामलाः** मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सीसीओ जब भी आवश्यकता हो, संबंधित पूर्व आवंटिती को रिपोर्ट भेजता है। 34 कोयला ब्लॉक अदालती मामलों में सेः

क. 2021–22 में 8 कोयला ब्लॉकों की बैंक गारंटी वापस कर दी गई है।

ख. 2022–23 में 7 ब्लॉकों की बैंक गारंटी वापस कर दी गई है।

ग. 2 कोयला ब्लॉकों की बैंक गारंटी वर्ष 2023–24 में वापस कर दी गई है (वित्त वर्ष के लिए भी) है और एमओसी से आदेश की प्रतीक्षा है। 1 कोयला ब्लॉक के लिए प्रक्रियाधीन है (दिसंबर, 2023 तक)।

viii. **ब्रिज लिंकेज के माध्यम से लिंकेज कोयले की मात्राः** सीसीओ ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले की लिंकेज मात्रा का निर्धारण करता है और वर्ष 2023–24 में स्थायी लिंकेज समिति (एसएलसी) के निर्देशों के अनुसार कोयले के लिंकेज से संबंधित 18 मामलों का समाधान किया गया है।

ix. **खान बंद करने की निगरानी और खान बंद करने की गतिविधि के लिए एस्क्रो खाता संचालित करनाः** वर्ष 2023 के दौरान, 54 करार निष्पादित किए गए हैं।

x. **एस्क्रो खातों से प्रगतिशील/अंतिम खान बंद करने की गतिविधियों के लिए धनराशि की प्रतिपूर्तिः** वर्ष 2023 के लिए, प्रगतिशील/अंतिम खान बंद करने की गतिविधियों के लिए 32 कोयला/लिग्नाइट खानों के लिए 86.38 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

11. भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य–:

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अनुसार **अनुसूची**–I कोयला खानों के लिए दावा मामलों को निपटाने के लिए कोयला नियंत्रक भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य करता है।

वित्त वर्ष	संवितरित राशि
2016–17	944,69,37,538/–रु.
2017–18	197,31,98,353/–रु.
2018–19	2,47,41,088/–रु.
2019–20	शून्य
2020–21	91,54,13,995/–रु.
2021–22	36,09,59,649/–रु.
2022–23	611,87,74,048 रु.
2023–24 (दिसंबर, 2023 तक)	**380,41,76,611 रू.**

वित्त वर्ष, 2023 के दौरान, सीओपी द्वारा 405,12,81,400 रू. प्रदान किए गए हैं।

xii. **वाशरी रिजेक्ट के निपटान की अनुमतिः** 26 वाशरियों को वर्ष 2022–23 के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 27–05–2021 के सीसीटी–13011/3/2007–सीए–I (खंड–III) के जरिए द्वारा जारी ''वाशरी रिजेक्ट की हैंडलिंग और निपटान की नीति'' के अनुसार अनुमति दी गई है।

जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक 111 आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

4. कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में की गई थी और इसका उत्तरदायित्व कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948, कोयला खान जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 तथा कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 को लागू करना है। इन तीन स्कीमों का परिचालन त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड के मार्गदर्शन में किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार संगठन द्वारा लगभग **337184 भविष्य निधि उपभोक्ताओं को तथा लगभग 610751 पेंशनभोगियों** को सेवाएं दी गई हैं। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और देशभर के कोयला उत्पादन राज्यों में इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय है।

4.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

वित्त वर्ष 2023–24 (30.11.2023 तक) की समाप्ति पर निजी क्षेत्र में प्रचालित कोक संयंत्रों को छोड़कर इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों तथा कार्यालय एककों की कुल संख्या लगभग **802** होगी। दिनांक **31.12.2023 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि स्कीम, 1948 के अंतर्गत लगभग 3.37 लाख जीवित** सदस्यता होने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित कोयला खान भविष्य निधि अंशदान की प्राप्त राशि लगभग 7252.99 करोड़ रुपए थी और **वित्त वर्ष 2023–24 (30.11.2023 तक) के दौरान लगभग 8700 करोड़ रू (एनसीडब्ल्यू के बकाया सहित)** की राशि प्राप्त हुई थी। निधि में मौजूद पूरी रकम का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। **दिनांक 30.11.2023 तक निधि निवेश का कुल अंकित मूल्य लगभग 143000 करोड़ रुपए (16,522 करोड़ रुपए** के विशेष जमा स्कीम निवेश सहित) है। **वृद्धिशील निवेश (अंकित मूल्य) 01.04.2023 से 30.11.2023 तक लगभग 8600 करोड़ रुपए है।**

वर्ष 2023–24 के दौरान, सदस्यों की एकत्र राशि पर प्रति वर्ष 7.6% प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी गई है।

वर्ष 2023–24 (30.11.2023 तक) के दौरान भुगतान की गई अग्रिम राशि सहित भविष्य निधि से वापिस की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

	निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या (01.04.2023 से 30.11.2023) तथा वितरण राशि#
भविष्य निधि वापसी मामले	16254
विवाह अग्रिम शिक्षा अग्रिम गृह निर्माण अग्रिम	1620
भविष्य निधि तथा अग्रिम पर वितरित राशि	लगभग 8268 करोड़ रूपये

 # सभी आकड़े अनंतिम है।

सीएमपीएफ स्कीम के प्रशासन की लागत की पूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को 03 प्रतिशत की दर से प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार में से की जाती है।

4.2 बीमा से संबद्ध कोयला खान निक्षेप स्कीम

सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का सदस्य था, उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति भविष्य निधि की राशि के अतिरिक्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मृत व्यक्ति के खाते में औसत शेष राशि के बराबर पाने का अधिकारी है बशर्ते यह राशि 10,000 रुपए से अधिक न हो।

इस स्कीम के अनुसार, कर्मचारियों को शामिल किए गए कार्मिकों की कुल मजदूरी के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार को भी इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा अंशदान की गई राशि के आधी राशि के बराबर अंशदान करना होता है। इस समय, इस स्कीम के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए, कर्मचारियों से कुल मजदूरी के 0.1 प्रतिशत की दर से अंशदान करने का अनुरोध किया जाता है और केंद्र सरकार उसका 50 प्रतिशत अर्थात् कुल मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है।

सीआईएल के कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों को राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 822 (ई) दिनांक 24.03.2009 के तहत उक्त स्कीम से प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के प्रवर्तन से पहले छूट दी गई थी।

4.3 कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998:

कोयला खान भविष्य निधि की धारा 3ई और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधिक्रमण में किए गए कार्यों तथा ऐसी अधिक्रमण के पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 बनाया है।

कोयला खान पेंशन योजना दिनांक 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है। **वर्ष 2023–24 (30–11.2023 तक)** में निपटाये गये पेंशन के नये दावों की संख्या 17436 है। **कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत (01.04.23 से 30–11.2023 तक) वितरित कुल राशि लगभग 3392 करोड़ रुपये है।**

स्कीम की मुख्य विशेषताएं:–

<u>निधियों का कोष एवं इसकी संधारणीयता:–</u>

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) नियुक्ति के दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति।

(ख) कर्मचारी के मासिक वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अशंदान बराबर–बराबर शेयर का अपना–अपना कुल अंशदान करते हैं, कर्मचारी की निधि से नियम दिन से अंतरित किया जाना है।

(ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 31 मार्च, 1996 तक कर्मचारी को **प्रदत्त मूल एवं मंहगाई भत्ता** के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, उसके वेतन से अंतरित की जाएगी।

(घ) 1 जुलाई, 1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख इसमें जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि कर्मचारी के वेतन से 1.7.1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है।

{खण्ड (ख) से (घ) का लोप किया गया है तथा दिनांक 08 जून, 2018 को प्रकाशित जीएसआर सं. 540 (ई) के तहत दिनांक 01.10.17 से देय मूल वेतन एवं वैरिएबल मंहगाई भत्ता के आधार पर आकलित कर्मचारी के वेतन के 7% की दर से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा समान अंशदान हेतु खण्ड (छ) जोड़ा गया है}।

(ड.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है।

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन एक हजार छह सौ रु. प्रति माह से अधिक हो, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान मात्र एक हजार छह सौ रु. प्रति माह के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगा।

(च) इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इस योजना में शामिल होने का विकल्प देने वाले नए कर्मचारियों सहित पेंशन योजना के सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली राशि।

सेवारत सदस्यों का **पेंशन अंशदान 01.04.2023 से 30.11.2023 तक 3950 करोड़ रुपए (सरकार के अंशदान तथा ब्याज सहित)** है।

कवरेजः–

(क) वे सभी कर्मचारी, जो तत्कालीन कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 की कर्मचारियों की नामावली में थे।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।

(ग) ऐसे सभी सदस्य जिन्होंने योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्त के साथ पीएस–1 और पीएस–2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।

(घ) 01.04.1994 से 31.3.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8.2004 के जीएसआर सं.521 (ई) के अनुसार योजना के मानित इच्छुक सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

लाभः–

(क) मासिक पेंशन (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से निकलना।)

(ख) विकलांगता पेंशन

(ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन

(घ) बाल पेंशन

(ड.) अनाथ पेंशन

(च) अनुग्रह राशि का भुगतान– दिनांक 17.02.2023 की राजपत्रित अधिसूचना सं. जी.एस.आर.119 (क) द्वारा, सीएमपीएस,98 के संबंधित पैरा 16 को हटा दिया गया है।

टिप्पणीः वर्ष 2023 के लिए, कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री में दिए गए सभी आंकड़े अनुमानित और अलेखापरीक्षित है।